

पुनः/अन्य कांड नं० 45/12-13

31.5.12

आवेदन उपरोक्त पदाधिकारी एवं पुनः/अन्य पदाधिकारी दोनों के  
विषय एवं कलराम पदाधिकारी आदि पदाधिकारी एण्ड - अतिथारी  
कोर, कुल्डा भागा - रमना जिला 2169 के अर्थात्  
निरम विवाह की बुकिंग नगरेवा सिंठ विषय एवं कलराम  
सिंठ आदि खोवा एण्ड - अतिथारी कोर कुल्डा भागा  
रमना जिला - 2169 के एषों विषय कोर की  
बुकिंग गांजी है।

शुद्धि विवाह

ग्राम अतिथारी

संख्या	वर्ष	रकम	चौकड़ी
10	202	0-37 1/2 रु	

- 1. उप-उपनिर्वाह पदाधिकारी
- 2. उप-उपनिर्वाह पदाधिकारी
- 3. कच्ची रकम
- 4. चालू खाते पालिका

अंचल अतिथारी, रमना है दिनांक 29/6/12  
तक गांजी प्रविष्ट की गांजी को।

उप सहायक नगर उदारी (गदवा)

24.9.12

अभिलेख उपस्थापित। अंचल पदाधिकारी, रमना के  
पत्रांक 164 दिनांक 7-7-12 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ  
है साथ में आम ईस्तर का तामिला प्रति भी प्राप्त  
हुआ है। जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है  
कि क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही ग्राम के आना के  
रेंथन हैं तथा दोनों एक ही जाति के सदस्य हैं। प्रति-  
वेदन में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता का  
मौजूदा भूमि है, जिस पर आवेदक का आन्तिकी दखल  
कब्जा है। अंचल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि  
का भूमि विक्री करने हेतु अनुमति की गई है। विज्ञान  
से विज्ञान अधिकारी की उपस्थिति में जवाही ली गई  
जिसमें उन्होंने बताया की वे स्वच्छ से प्रश्नगत भूमि


आदेश की क्र०से० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित
1	2	3

की विक्री कर रहा हूँ, मैं किसी के बहकौरे एवं दवाब में विक्री नहीं कर रहा हूँ।

अतः अंचल पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन, आम ईस्तदार एवं आवेदक द्वारा ली गई जवाही के आधार पर CMA Act की धारा 46 के तहत विक्रेता गोपाल परहिया के सुरेश परहिया दोगे के पिता बलराम परहिया सा०अति-आरी थाना रमना जिला गढ़वा के निम्न विवर्ण की भूमि केता जनेश्वर सिंह (जाति खरवाइ) पिता स्व० कौलपती सिंह सा० अतियारी के०बुलका थाना रमना जिला गढ़वा के हाथों विक्री करने की ~~सूचना~~ दी जाती है। अवर निबंधक पदाधिकारी एवं आवेदक को सूचित करें।

भूमि का विवरण

ग्राम-थाना-खाता	एलॉट रकबा
अतियारी 10	202 0-37 1/2 बी०
183	सादे कौलपती जी. मात्र।

  
 उप समाह्वयक  
 नगर उदारी।